

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	131/2020 प्राथमिक	विशेष विवरण
	171220	<p>वकील प्रार्थी उक्त पी. 0. सी. पुस्तक में केवल है गत आदेश की पाठ्यक्रम दिनांक 4-2-20 को पेश है।</p> <p style="text-align: right;">लेकर प्रस्तुतकार उप खण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर)</p>	
424		<p>वकील प्रार्थी उक्त प्रार्थना पत्र उक्त अप्रार्थी सं. 1/2020 5 व 7, 8, 9, 10 की तामील होने प्राप्त हुई है। तामील पर्याप्त मानी गयी। इनके बावजूद आवाज लगायी गयी। कोई उपरिष्ठ नहीं हुआ अतः इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही आदेश में जारी जाती है। बरत प्राथमिक पुनः गयी। चूंकि प्रकरण में दिनांक 9-9-20 को अन्तर्गत अध्यापन निः सिद्धांत परित किए गए हैं अतः अप्रार्थीगण को नॉकसल गुरुवाद्य अध्यापन निः सिद्धांत से पाबन्द किया जाता है कि वे यदि खण्ड 377 एम. ए. 1.37 ई. के उनके गुरु पापनी तद्विषय विचार में प्राथमिक को काबिज रहकर काशत करने देवे किसी प्रकार कोई कच्चा पक्का निर्माण नो करे साथ ही उपयोग उपभोग में भलाहमत देना नो करे। मौका की यथा स्थिति बनाये रखे</p>	

फर्द अहकाम

न्यायालय

उपखण्ड अदालत
विराटनगर (जयपुर)

सरोज देवी


बनाम

रामनिवास कौर

मुकदमा संख्या / वर्ष

131/2020

प्रार्थना पत्र

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		<p>मौला व राजलखिणी की यथास्थिति समाप्त रहे। प्रार्थना पत्र का फलमूलक वाद स्वार्थी Complain किया जाता है। फावला जैसल युक्त होकर दायित्व दायता हो किता मूलक रहे नकार से काम होके।</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अदालत विराटनगर (जयपुर) </p>	